

मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

ई-5 पर्यावरण परिसर, अरेरा कालोनी, भोपाल

क्रमांक

/स्था/प्रनिबो/2014

भोपाल, दिनांक

-: कार्यालय आदेश :-

म०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उद्योगों को जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 में निहित प्रावधानों के तहत औद्योगिक इकाईयों को उनके द्वारा चाहे जाने पर रेड श्रेणी के अन्तर्गत 05 वर्ष, ऑरेंज श्रेणी के अन्तर्गत 10 वर्ष, एवं ग्रीन श्रेणी के अन्तर्गत 15 वर्ष हेतु एक साथ उत्पादन सम्मति/सम्मति नवीनीकरण जारी किया जावेगा। इस हेतु प्रक्रिया का विवरण निम्नानुसार है -

- (1) म० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जल अधिनियम, 1974 की धारा 25 एवं वायु अधिनियम, 1981 की धारा 21 के तहत जारी किये जाने वाले उत्पादन सम्मति/नवीनीकरण को सरलीकृत प्रक्रिया के अन्तर्गत बोर्ड की वेबसाईट www.mp.pcb.nic.in के होमपेज के लिंक पर आवेदन की सुविधा उपलब्ध है।
- (2) उपरोक्त लिंक को क्लिक करने पर निर्धारित प्रपत्र का प्रारूप व वांछित दस्तावेजों का विवरण उपलब्ध है। उपरोक्त जानकारी एवं दस्तावेज बोर्ड के ईमेल आईडी "natmadaxgn@gmail.com" पर भेजना होगा।
- (3) पूर्व से प्राप्त आईडी व पासवर्ड से इकाई का ऑनलाईन आवेदन बोर्ड की वेबसाईट के होम पेज पर उल्लेखित नर्मदा एक्सजीएन लिंक से किया जावेगा व उपरोक्त लिंक के माध्यम से प्राप्त आवेदन क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा 3 दिन में प्रोफाइल/अनुमोदित कर प्रोसेस किया जावेगा। आवश्यक जानकारी एक्सजीएन के माध्यम से प्राप्त की जावेगी तथा प्राप्ति की सूचना एसएमएस एलर्ट से उद्योग को दी जावेगी।
- (4) आई.डी. व पासवर्ड से उद्योग का आवेदन बोर्ड के ऑनलाईन एक्सजीएन लिंक से स्वतः जुड़ जाएगा व बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रोफाइल अनुमोदित/प्रोसेस किया जाएगा जिसकी सूचना भी उद्योग को एसएमएस अलर्ट से प्रेषित होगी।
- (5) आवेदन की स्वीकृति के पश्चात् इकाई द्वारा वांछित अवधि (05 वर्ष, 10 वर्ष एवं 15 वर्ष) का शुल्क बोर्ड के ऑनलाईन खाता क्रमांक 3229010100012663, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक कोड - 024, ब्रांच कोड 0631000, आईएफएससी/आईएसओ कोड PUNB0631000, एमआईसीआर कोड 462024015 अथवा "सदस्य सचिव, म० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल" अथवा संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी, म० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, को देय डी.डी. द्वारा जमा किया जा सकता है। (शुल्क की जानकारी बोर्ड की वेबसाइट www.mppcb.nic.in के Home page पर उपलब्ध है।)
- (6) इकाई द्वारा अनुमोदित आवेदन की हार्ड कॉपी पोस्ट के माध्यम से प्रेषित की जा सकती है अथवा निरीक्षण के दौरान प्राधिकृत अधिकारी को उपलब्ध कराई जा सकती है।
- (7) प्राधिकृत अधिकारी द्वारा आवेदन अनुमोदन के एक सप्ताह के अन्दर निरीक्षण किया जावेगा।
- (8) उत्पादन सम्मति/सम्मति नवीनीकरण प्रदान करने संबंधी निर्णय लघु श्रेणी के उद्योगों हेतु क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा लिया जावेगा व वृहद एवं मध्यम श्रेणी के उद्योगों हेतु

प्राप्त आवेदनों को क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा निरीक्षण उपरान्त एक सप्ताह में बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करना होगा, जिस पर निर्णय बोर्ड मुख्यालय द्वारा लिया जावेगा।

- (9) ऑनलाईन सम्मति की सूचना इकाई के रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर पर प्रेषित होगी साथ ही कम्प्यूटर जनरेटेड सम्मति आदेश भी इकाई के रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर स्वतः प्रेषित होगा।
- (10) उपरोक्त प्रक्रिया से 45 दिन में उत्पादन सम्मति/सम्मति नवीनीकरण देने की कार्यवाही पूर्ण की जावेगी।
- (11) Narmada XGN के माध्यम से उपरोक्त कार्यवाही पूर्ण करने हेतु मार्गदर्शिका बोर्ड की वेबसाईट पर उपलब्ध है।

उपरोक्त प्रक्रिया तत्काल प्रभाव से लागू की जाती है।


(ए०ए० मिश्रा)
सदस्य सचिव

प्र०क्रमांक 2328 /स्था/प्रनिबो/2014

भोपाल, दिनांक 14/10/2014

प्रतिलिपि :-

- 1 विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मान्नीय मुख्यमंत्री कार्यालय, म०प्र० शासन भोपाल।
- 2 विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मान्नीय मंत्री, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग, म०प्र० शासन भोपाल।
- 3 विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मुख्य सचिव कार्यालय, म०प्र० शासन भोपाल
- 4 निज सचिव, प्रमुख सचिव, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग, म०प्र० शासन भोपाल।
- 5 निज सचिव, अध्यक्ष/सदस्य सचिव, म०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल।
- 6 समस्त यूनिट हेड, तकनीकी शाखा, म०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल।
- 7 समस्त क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, म०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
8. प्रभारी आई.टी. शाखा म०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल।
9. गार्ड फाइल।


(ए०ए० मिश्रा)
सदस्य सचिव

8